भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1276

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

निधियों का कम उपयोग

1276. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण और संरक्षण के लिए किए गए आवंटन और वास्तविक व्यय के बीच गत छह वर्षों में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार द्वारा इस अंतर को पाटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर उनके मुद्दे का समाधान करने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वे तेज और टिकाऊ राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं और बच्चों की उन्नति के लिए नोडल मंत्रालय है, जो स्कीमें, नीतियां और कार्यक्रम तैयार करता है; कानून बनाता/संशोधित करता है, विभिन्न हितधारकों के प्रयासों का मार्गदर्शन और समन्वय करता है।

पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए कई पहलें की गई हैं।

मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 'मिशन शक्ति' नाम से एक व्यापक (अम्ब्रेला) स्कीम का कार्यान्वयन करता है, जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कार्याकलापों को सुदृढ़ करना है। यह स्कीम जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करके और उन्हें अभिसरण और नागरिक-स्वामित्व के माध्यम से राष्ट्र-निर्माण में समान भागीदार बनाकर "महिला-नेतृत्व वाले विकास" के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को साकार करने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर अभिसरण में सुधार के लिए कार्यनीतियों का प्रस्ताव करने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। यह डिजिटल बुनियादी ढांचे के समर्थन, अंतिम लाभार्थी की ट्रैकिंग और जन सहभागिता को सुदृढ़ करने के अलावा, पंचायतों और अन्य स्थानीय स्तर के शासन निकायों की अधिक भागीदारी और समर्थन को बढ़ावा देना चाहता है।

मंत्रालय 'मिशन शक्ति' से पहले, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन (एमपीईडब्ल्यू) के तहत विभिन्न उप-योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), महिला शक्ति केंद्र (एमएसके), स्वधारगृह, उज्ज्वला, कामकाजी महिला छात्रावास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच), जेंडर बजटिंग, अनुसंधान, प्रकाशन और निगरानी, सूचना और जन संचार (मीडिया), वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण (डब्ल्यूएचएल), महिला पुलिस स्वयंसेवक (एमपीवी) इत्यादि का क्रियान्वयन कर रहा था जिनका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण करना था। हालाँकि, इन उप-योजनाओं के कार्यान्वयन में कई मुद्दे थे, और उप-योजनाओं की पूरी क्षमता का काफी हद तक उपयोग नहीं किया गया। कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं में अकेले काम करने वाले विभिन्न अंग शामिल हैं जिनका मौजूदा कानूनी ढांचे या जिलों में उपलब्ध स्थानीय सुविधाओं के साथ अपर्याप्त जुड़ाव है; मानकीकरण की कमी के साथ असमान रूप से स्थापित संस्थागत तंत्र; पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों, उचित निगरानी और अभिसरण तंत्र इत्यादि की कमी शामिल हैं।

मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएँ हैं - 'संबल' और 'समर्थ्य'। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'संबल' उप-योजना में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की मौजूदा स्कीम को संशोधनों और महिला समूह- नारी अदालत के एक नए घटक में जोड़ कर शामिल किया गया है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 'सामर्थ्य' उपयोजना में उज्ज्वला, स्वधारगृह और कामकाजी महिला छात्रावास की मौजूदा स्कीमों को संशोधनों के साथ शामिल किया गया है। इसके अलावा, आईसीडीएस के तहत राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम और पीएमएमवीवाई की मौजूदा स्कीमों को अब सामर्थ्य में शामिल किया

गया है। केंद्र, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और जिले के स्तर पर महिलाओं के लिए स्कीमों और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सामर्थ्य स्कीम में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गैप फंडिंग का एक नया घटक अर्थात महिला सशक्तिकरण हब (एचईडब्ल्यू) जोड़ा गया ताकि महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को साकार कर सकें। महिला सशक्तिकरण हब (एचईडब्ल्यू) के तहत महिलाओं को स्वास्थ्य देखरेख, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सहित उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध सेट अप में मार्गदर्शन, जोड़ने और मदद करने, कॅरियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, बैकवर्ड एंड फारवर्ड लिकेंज, श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, देश भर में जिलों/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता की सुविधा प्रदान करता है।

पिछले छह वर्षों के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा की योजनाओं के तहत वर्ष-वार जारी निधि का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

"निधियों का कम उपयोग" के संबंध में श्री एम.वी.वी.सत्यनारायण द्वारा 09.02.2024 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1276 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले छह वर्षों के दौरान महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा स्कीम के तहत वर्ष-वार जारी निधियां

वित्तीय वर्ष	जारी निधि* (करोड़ रुपये में)
2018-19	1724.48
2019-20	2689.50
2020-21	1441.11

*मिशन शक्ति से पहले महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए विभिन्न घटकों अर्थात् महिला शक्ति केंद्र, स्वाधार गृह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, कामकाजी महिला छात्रावास, उज्ज्वला, पीएमएमवीवाई, शिशुगृह इत्यादि के लिए।

वित्तीय वर्ष	जारी निधि* (करोड़ रुपये में)
2021-22	1912.38
2022-23	2340.15
2023-24	800.91 (30.01.2024 तक)

*मिशन शक्ति के अंतर्गत विभिन्न घटकों हेतु।

*****